

प्रारूप-30

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बडेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी0 37 से दीवारीखोल से ग्राम जोखणी तक मोटर मार्ग की 2.35 किमी0 (लम्बाई)निर्माण हेतु 1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-uttarkashi

Dated--29-4-2016

En- 110/16


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.75 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works department...chinyalisour uttarkashi** for **road construction in uttarkashi district** falls within jurisdiction of zokhni. village (s) in **chinyalisour** tehsils.

**It is further certified that:**

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 1.75 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

  
जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी

District Magistrate-uttarkashi

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/ S. B. Adak I.A.S district magistrate Uttarkashi on dated 29-4-2016 at Uttarkashi. In which application claiming rights in forest land area measuring 1.75 hect for the construction of Diwarikhol to Zokhni motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi  
Dated: 29-4-2016



विभागीय अधिकारी  
उत्तरकाशी

(District Magistrate-Uttarkashi)

**It is certified that –Minutes of meeting of Diwarikhol to Jokhni motor road (Length 2.35 Km.) Regarding FRA is as following:-**

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 1.75 Het of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid Moth road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

  
जिलाधिकारी

District Magistrate, Chairman  
District Level Committee  
Uttarkashi

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड के बडेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 37 से दीवारीखोल से ग्राम जोखणी तक मोटर मार्ग की 2.35 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.75 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, दुण्डा  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्वालीसौड

उपखण्ड चिन्वालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दीवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.75 हे०) आरक्षित वन भूमि ~~✗~~ हे० सिविल एवं सोधम वन भूमि ~~X~~ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल (1.75 हे० वन भूमि) क लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्वालीसौड) की दिनांक 18/03/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बी० एन० शुक्ला उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति गिम्नानुराह है।

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1- | श्री बी०एन० शुक्ला उपजिलाधिकारी दुण्डा                       | अध्यक्ष    |
| 2- | श्री आर०बी० सिंह उप प्रनागीय वनाधिकारी धरासू                 | सदस्य      |
| 3- | श्री सुधीर चन्द्र तेली सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्वालीसौड | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री विजेन्द्र सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्वालीसौड       | सदस्य      |

उपखण्ड राधिय द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम दीवारीखोल से जोखणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.75 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के लक्ष्य रखा गया। ग्राम राभा के अन्तर्गत

वनाधिकार का कोई मामला लब्धित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन को अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्मालीसौंड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दीवारीखोल से जोखणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- चिन्मालीसौंड  
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... उत्तरकाशी ..... के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- चिन्मालीसौंड  
जनपद उत्तरकाशी

दिनांक 01/10/11 को ग्राम सभा की सम्मन् बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लोखरी

परियोजना का नाम:-


राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्चलीसोड में दिवारीखेल रे जोखणे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 3.35 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर


1-	शुभवीर सिंह	शुभवीर सिंह
2	चैनी सिंह	चैनी सिंह
3	शंकर सिंह	शंकर
4	शोहन लाल	शोहन लाल
5	चमन प्रकाश	चमन प्रकाश
6	क्रीपाल सिंह	क्रीपाल सिंह
7	विजेन्द्र सिंह	विजेन्द्र सिंह
8	गजपति सिंह	गजपति सिंह
9	विजेन्द्र सिंह	विजेन्द्र
10	शोहन लाल	शोहन लाल
11	शिव सिंह	शिव सिंह
12	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
13	जा सिंह	जा सिंह
14	बलदेव सिंह	बलदेव सिंह
15	दमाल सिंह	दमाल सिंह
16	अमर लाल	अमर लाल
17	सतपाल लाल	सतपाल
18	जलम दास	इन्दिलाल
19	हरिलाल	गुन्सी
20	मन्दी लाल	शंकर
21	रजनीर लाल	विजेन्द्र लाल
22	विजेन्द्र लाल	शंकर सिंह
23	शंकर सिंह	शंकर सिंह
24	भोगचन्द सिंह	भोगचन्द सिंह
25	शैव सिंह	शैव सिंह
26	हरल सिंह	शुभवीर सिंह

  
 सहस्यक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड लोखरी

दिनांक 01/04/11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत (ता. डबवाली).....

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्धालीखोड में  
दिवारीखोल रे जोखणी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 3.35 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु  
हो आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
27	नागचन्द सिंह	नागचन्द
28	महावीर सिंह	महावीर सिंह
29	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
30	त्रैपन सिंह	त्रैपन
31	राजपाल सिंह	राजपाल
32	शिविन्द सिंह	शिविन्द
33	कमल सिंह	कमल सिंह
34	नील सिंह	नील
35	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र
36	वनराम सिंह	नील सिंह
37	सुन्दर लाल	वनराम
38	तीरु लाल	सुन्दर लाल
39	धाम लाल	तीरु
40	रमेश लाल	धाम
41	जमपाल सिंह	रमेश लाल
42	गदियल सिंह	जमपाल सिंह
43	हरम लाल	गदियल
44	राकेश लाल	हरम लाल
45	देव राम सिंह	राकेश
46	वृजमोहन सिंह	देव राम
47	राममलाल सिंह	वृजमोहन
48	शिवदुलस	राममलाल
		शिवदुलस

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोअरिडिग  
विन्धालीखोड

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)  
उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।







आज दिनांक ...18/03/16...को चिन्यालीसौड़ से ग्राम दीवारीखोल से मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बी०एन० शुक्ला	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर०बी० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	
3	श्री सुधीर चन्द जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	
4	श्री बिजेन्द्र सिंह रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़	

कार्यालय जिलाधिकारी (उत्तरकाशी)

खण्ड स्तरीय समिति, उत्तरकाशी।

आज दिनांक 29-1-2016 को चिन्यालीसौड़ के दीवरीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री श्रीधर बाबू झांकी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	
3	श्री जी० के० रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	
4	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य कन्सैण	
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	

### प्रारूप 30.3

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बडेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी0 37 से दीवारीखोल से ग्राम जोखणी तक मोटर मार्ग की 2.35 किमी0 (लम्बाई)निर्माण हेतु 1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत जोखणी  
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी


### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीवारीखोल से जोखणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (1.75 हे0) आरक्षित वन भूमि, 1.75 हे0 अर्थात कुल 1.75 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोखणी द्वारा दिनांक 01/10/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोखणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
**लक्ष्मण सिंह राणा**  
प्रधान

ग्राम जोखणी  
वि0ख0-चिन्यालीसौड़,(उ0का0)